पत्र सं0 :–26/न0नि0–01–14/2022...3074
04/07/2025

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर प्रक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत एकरारनामा संख्या–08एस0बी0डी0/22–23 (एजेंडा सं0–180/373/2022) के तहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चट्टी चौक होते हुए हरपट्टी तक कराये जा रहे नाला लाईनिंग कार्य का एकरारनामा संवेदक श्री अमरनाथ झा, जिला–दरभंगा द्वारा सम्पादित किया गया।

कार्यारंभ के पश्चात् कार्य की प्रगति लगातार धीमी रहने, विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं एकरारनामा के उपरांत कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा की मांग की गयी। संवेदक को स्मारित करने के बावजूद भी उनके द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया। संवेदक से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, समस्तीपुर से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय आदेश सं0–4415 दिनांक–13.11.2024 द्वारा संवेदक श्री अमरनाथ झा को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन (पत्रांक–07 दिनांक–16.012.2024) समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक–194 दिनांक–15.01.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में मुख्य अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत होने एवं कार्यस्थल के कुछ जगहो पर जन अवरोध, अतिक्रमण के कारण कार्य में कठिनाई उत्पन्न होने, जिसे प्रशासनिक बल के बिना संभव नहीं होने के कारण संवेदक को कालीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

संवेदक से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–02.04.2025 को सुनवाई की गयी। जिसमें संवेदक द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जिसके चलते वे उत्तर नहीं दे पाये। संवेदक से इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट/दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1515 दिनांक–04.04.2025 द्वारा संवेदक से मेडिकल रिपोर्ट/दस्तावेज/साक्ष्य की मांग की गयी। तदोपरांत संवेदक द्वारा मेडिकल रिपोर्ट/दस्तावेज/साक्ष्य संदभित पत्र (दिनांक–13.06.2025) समर्पित किया गया।

अतएव उक्त वर्णित स्थिति में अपील अभ्यावेदन एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के द्वारा इस मामले में दिये गये मंतव्य के समीक्षोपरांत अपील अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए संवेदक श्री अमरनाथ झा, जिला–दरभंगा को विभागीय आदेश सं0–4415 दिनांक–13.11.2024 द्वारा किये गये कालीकरण आदेश से मुक्त किया जाता है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : ....पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि:– श्री अमरनाथ झा, ग्राम–किशनपुर, पो0–नवादा, जिला–दरभंगा, पिनकोड–847201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(शरद कुमार)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :..................3074..................................../ पटना, दिनांक :.....04/07/2018.....................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 4/7/2018

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।